

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या:- 4630 /सेक-2-पांच-17-5(243)/2014टी0सी0
लखनऊ: दिनांक : 08 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 चमन प्रकाश, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी (एफ0डब्लू0), श्रावस्ती सम्प्रति निलम्बित द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद श्रावस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत फन्ड का दुरुपयोग करके आई0एफ0ए0 टैब्लेट तथा डिवर्मिंग टैब्लेट की खरीद ऊंची दरों पर करके शासकीय क्षति पहुंचाये जाने सम्बन्धी गम्भीर अनियमितता हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-984/सेक-2-पांच-16-5(243)/2014टी0सी0, दिनांक 15.03.2016 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त आरोपों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रश्नगत अपकृत्य/कदाचार हेतु डा0 चमन प्रकाश को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1106/सेक-2-पांच-15-5(243)/2014टी0सी0, दिनांक 08.04.2015 द्वारा निलम्बित करते हुए कार्यालय महा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया था।

2- डा0 चमन प्रकाश, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी (एफ0डब्लू0), श्रावस्ती का कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1106/सेक-2-पांच-15-5(243)/2014टी0सी0, दिनांक 08.04.15 द्वारा किया गया निलम्बन समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए डा0 चमन प्रकाश को जिला चिकित्सालय सम्मल में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल एतद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

3- डा0 चमन प्रकाश के विरुद्ध कार्यालय-ज्ञाप संख्या-984/सेक-2-पांच-16-5(243)/2014टी0सी0, दिनांक 15.03.2016 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही यथावत् प्रचलित रहेगी। निलम्बन अवधि के अवशेष वेतन भत्तों के संबंध में विभागीय कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

पु0सं0-4630 (1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 चमन प्रकाश को प्रश्नगत आदेश तागील कराते हुए तागीली की सूचना 03 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराए।
- 4- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
- 5- जांच अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- 6- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती।
- 8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, श्रावस्ती/लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

10- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित चिकित्साधिकारी का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।

✓ 11- गार्ड बुक।

12- मुख्य चिकित्सा अधी. नि. सं. के स्थल

आज्ञा से,

(जे०एल० यादव)

अनु सचिव।

w